न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00454 (332/2018) 223 आरटीएक्ट

1. प्रभूराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. बुधराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलाण्ट

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. कृष्णा
3. मीरां
4. सन्तोष
5. शकुन्तला
6. सरला
7. राधा

पुत्रियान नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2019 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 19/2018 बअनवानी प्रभुराम आदि बनाम नत्थूराम आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1
श्री तरसेमसिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7

निर्णय दिनांक– 20.06.2019

1. उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अपीलार्थीगण ने एक दावा घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन जोत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वादपत्र में चक बरवाली जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 खाता संख्या 47/47 की 2.119 है. व चक 6 एनओआर की जमा बंदी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 68/55 की 1.678 है. भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम की बजाय दोनों वादीगण ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित करने इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम का नाम कलमजन करवाकर उसके नाम की भूमि दोनों वादीगण बहिस्सा बराबर अपने नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक हीं संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। वाद भूमि संयुक्त परिवार की होने के कारण वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा प्रस्तुत किया था जिसे नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं था। भूमि पैतृक होने के दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे। भूमि संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की हुई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। इकबाल दावा पेश होने के कारण भूमि को अन्य किसी प्रकार से सिद्ध किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्नगत भूमि राजीनामा/इकबालदावा एवं अभिस्वीकृति पर बिना कोई विवेचन एवं विश्लेषण किये उच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। किसी भी पक्षकार द्वारा दावा का विरोध नहीं किया गया था। आर्डर शीट पर साईन करवाये गये किसी भी पक्षकार को आदेश सुनाया नहीं गया था। राजीनामा यदि स्वीकार नहीं था तो इस सम्बन्ध में तनकी बनाकर तद्नुसार निर्णय होना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट्स की बहस का समर्थन करते हुए राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद घोषणा एवं विभाजन का पेश हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए मुताबिक वाद दावा डिक्री किये जाने पर अनापत्ति दी गई। अधीनस्थ न्यायाल ने वाद को इस अधार पर खारिज किया कि पैतृक भूमि होने के संबंध में सभी दस्तावेज पेश नहीं किये। अपील में अपीर्थीगण का मुख्य आधार यह है कि वाद को इकबाली जवाबदावा एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पे डिक्री करना विचारण न्यायालय द्वारा उचित नहीं माना गया तो तनकी बनाई जाकर, साक्ष्य लेकर तद्नुसार वाद का निस्तार किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश किया उसी दिने वाद वादी खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.05.2018 को कैम्प कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया। उसी दिन सभी पक्षकारों ने इकबाली जवाबदावा पेश किया जिसे अस्वीकार कर दावा खारिज कर दिया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा पैतृक भूमि का कथित करते हुए वाद घोषणा एवं विभाजन का पेश किया गया था जिसे वादी से साक्ष्य लेकर निस्तारण किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों से साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर तनकियात कायम कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official